Remove Watermark Now

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 62/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
गोरधन पुत्र घीसाराम जाति गुरू निवासी दयालपुरा तहसील व जिला पाली		1– होशियारमल पुत्र घीसाराम जाति गर्ग निवासी कुरना तहसील व जिला पाली 2– लक्ष्मीदेवी पुत्री घीसाराम जाति गर्ग निवासी गुडा इन्द्रपुरा, तहसील व जिला जालोर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14–2–18 जो तहसीलदार (भू.अ.) पाली द्वारा मुकदमा संख्या 39/2010 अनवान गोरधन बनाम होशियारमल वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री नरेन्द्र ए. राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री श्रेयांश मरडिया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 2 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 26–12–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली के समक्ष दिनांक 28–9–2010 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे पिता घीसाराम पुत्र पूनमजी एवं कन्नाराम पुत्र पूनमजी दोनो सगे भाई है तथा घीसाराम जी के कोई जायन्दा पुत्र नही होने से मुझे दिनांक 27–11–2001 को गोद लिया था तथा मेरे पक्ष मे गोदनामा उप पंजीयक पाली के कार्यालय से पंजीबद्ध करवाया हुआ है तथा प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि कन्नाराम पुत्र पूनमजी के तीन पुत्र है उनमे से मेरे पिता कन्नाराम ने एवं मेरे बडे पिता घीसारामजी ने आपसी सहमति से मुझे मेरे बडे पिता घीसारामजी को गोद दे दिया था तथा हिन्दु रितीरिवाज मुताबिक रस्म अदा कर के मुझे गोद लिया था तब से मै ही घीसारामजी के एक मात्र पुत्र हूँ तथा मैने ही मेरे पिता घीसाराम जी के जीवनकाल मे सेवा चाकरी की थी तथा दिनांक 11–8–2010 को मेरे पिता घीसारामजी का देहांत हो गया । मेरे पिता घीसारामजी ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 17–1–2002 को एक वसीयतनामा चल व अचल सम्पति का मेरे हक मे निष्पादित किया था । मेरे पिता के जीवनकाल मे उक्त सम्पति उनके हक मे ही थी तथा मेरे पिता की मृत्यु के बाद उक्त वसीयत के अनुसार मेरे नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कराने का निवेदन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली के समक्ष दो अन्य प्रार्थना पत्र वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से खसरा नंबर 84, 231, 647, 648 का फोतेदगी म्युटेशन करवाने बाबत प्रस्तुत किये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण दर्ज कर दोनो पक्षकारो को सुनने के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–2–2018 को पारित किया जिसमे खसरा नंबर 84/1, 733/100 एवं 231 मे मृतक घीसाराम के हिस्से का

pdfelement

Remove Watermark Now

नामांतरकरण वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को मृत घीसाराम के विधिक वारिसान मानते हुए उनके नाम स्वीकृत करने के आदेश पारित किये जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट मृतक खातेदार घीसारामजी का गोद पुत्र है, मृतक घीसारामजी ने अपने जीवनकाल मे अपीलांट को गोद लेकर दिनांक 27–11–2001 को रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित करवाया तथा अपीलांट के पक्ष मे मृतक खातेदार घीसाराम ने दिनांक 17–1–2002 को अपीलांट के पक्ष मे एक वसीयत का भी निष्पादन किया तथा उक्त वसीयत मे स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि उसकी कोई जीवित संतान नही है एवं अपने रजिस्टर्ड गोदनामे के दस्तावेज मे स्पष्ट उल्लेख किया है कि ''मेरी शादी पूर्व मे दिनांक 6–5–60 को रतनी पुत्री मूलाजी गुरू के साथ हुई थी तथा आपसी विवाद के कारण दिनांक 17–8–91 को विवाह विच्छेद हो गया एवं मेरे उससे कोई औलाद नही है तथा मेरा घर खुला रखने के लिए मैने अपीलांट गोरधन को गोद लिया'' । वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात की ओर ध्यान दिलाया जिसमे रेस्पो0 होशियारमल स्वयं के शादी का कार्ड जिसमे पिता के नाम का उल्लेख नही है, ग्राम कूरणा विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की निर्वाचन नामावली के भाग संख्या 24 क्रम संख्या 636 पर होशियार के पिता का नाम मूलाराम लिखा हुआ है जबकि इसके विपरीत अपीलांट ने अपने पक्ष मे मृतक खातेदार घीसाराम द्वारा अपीलांट गोरधन के पक्ष मे निष्पादित गोदनामे का रजिस्टर्ड दस्तावेज की छायाप्रति, मृतक घीसाराम द्वारा अपीलांट गोरधन के पक्ष मे उसकी चल व अचल सम्पति की निष्पादित वसीयत, खातेदार घीसाराम के मृत्यु का प्रमाण पत्र, परिवार कार्ड जिसमे परिवार के मुखिया का नाम घीसाराम तथा अपीलांट गोरधन का नाम पुत्र के रूप मे दर्ज है, घीसारामजी के देहांत होने पर छपवाये गये शोक सन्देश जिसमे शोक स्थल मे पता गोरधन पुत्र घीसाराम गर्ग गांव दयालपुरा लिखा हुआ है तथा शोकाकुल परिवार मे गोरधन का नाम पुत्र के रूप मे लिखा गया है, इसमे कही भी रेस्पो0गण होशियारमल एवं लक्ष्मीदेवी का नाम पुत्र पुत्री के रूप मे नही लिखा हुआ है, अपीलांट के पक्ष मे तहसीलदार पाली से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जिसमे अपीलांट गोरधनलाल के पिता का नाम घीसाराम जाति गर्ग निवासी दयालपुरा का जारी हुआ है, जाति प्रमाण पत्र जो प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प दयालपुरा मे तहसीलदार पाली द्वारा जारी किया गया है जिसमे भी अपीलांट गोरधन के पिता का नाम घीसाराम जाति गरूडा निवासी दयालपुरा तहसील पाली का जारी हुआ है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र मे भी अपीलांट गोरधन लाल के पिता का नाम घीसाराम निवासी दयालपुरा तहसील पाली लिखा हुआ है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त समस्त दस्तावेजो के अलावा मृत खातेदार घीसाराम एवं उनकी पत्नी रतनी के विवाह विच्छेद के संबंध मे जिला न्यायाधीश पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–8–91 एवं डिकरी मे भी इनके संतानो का कोई व्योरा नही आया है । उक्त तमाम दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली के

pdfelement

Remove Watermark Now

समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध थे परंतु तहसीलदार ने इन तथ्यो पर गौर किये बिना खसरा नंबर 84/1, 733/100 एवं 231 की भूमि मे होशियारमल एवं लक्ष्मी देवी को विधिक वारिसान मानते हुए नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस को जारी रखते हुए कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 होशियारमल एवं रेस्पो0 संख्या 2 लक्ष्मीदेवी ने ऐसी काई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही की थी जिससे यह साबित होता हो कि उक्त दोनो रेस्पो0 मृतक घीसाराम के वारिस हो फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने होशियारमल एवं लक्ष्मी देवी को मृतक खातेदार घीसाराम के विधिक वारिसान मानते हुए खसरा नंबर 84/1, 733/100 एवं 231 की भूमि उनके नाम नामांतरकरण दर्ज करने का जो आदेश पारित कर दिया है, जबकि अपीलांट गोरधन के पक्ष मे मृत खातेदार घीसाराम ने रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित कर दिया था तथा अपीलांट के पक्ष मे वसीयत भी निष्पादित की होने का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होते हुए अपीलांट को खसरा नंबर 84/1, 733/100 एवं 231 की भूमि जो मृत खातेदार घीसाराम की थी उसमे अपीलांट गोरधन को विधिक वारिस नही मानते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे खसरा नंबर 84/1, 733/100 एवं 231 की भूमि मृत खातेदार घीसाराम की स्वअर्जित नही होकर विरासत मे प्राप्त पैतृक सम्पति मानते हुए आदेश पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई रेकर्ड या सबूत प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह माना जा सके कि उक्त भूमि घीसाराम की पुश्तैनी भूमि हो तथा वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि यदि मान भी लिया जाये कि उक्त भूमि खातेदारी घीसाराम की पुश्तैनी भूमि हो फिर भी अपीलांट को पुत्र की हैसियत से उक्त भूमि से वचित नही रखा जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे रेस्पो0 होशियारमल एंव लक्ष्मीदेवी को मृतक घीसाराम की जायंदा संताने माना है । वकील अपीलांट ने प्रधानाचार्य,राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुरना द्वारा जारी जन्म तिथी प्रमाण पत्र को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि स्कूल के स्कोलर रजिस्टर के आधार पर जारी जन्म तिथी प्रमाण पत्र को एवीडेन्टरी वेल्यु नही माना जा सकता है । इस संबंध मे वकील अपीलांट ने माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या 2308/2009 अनवान सुनिल बनाम स्टेट आफ हरियाना मे पारित आदेश दिनांक 4 नवम्बर 2009 की प्रति प्रस्तुत की है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–2–2018 मे खसरा नंबर 84/1, 733/100, 231 की हद तक पारित किये गये आदेश को निरस्त कर अपीलांट को उक्त खसरा नंबरान मे मृतक खातेदार घीसाराम का पुत्र (रजिस्टर्ड गोदनामे

Remove Watermark Now

के आधार पर) होने से विधिक प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस मानते हुए पुनः विधिसम्मत नामांतरकरण की कार्यवाही करने के निर्देश के साथ प्रकरण को तहसीलदार पाली को रिमाण्ड करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे सुप्रिम कोर्ट द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या 2308/2009 अनवान सुनिल बनाम स्टेट आफ हरियाना मे पारित आदेश दिनांक 4 नवम्बर 2009 की प्रति, आर.आर.डी. 2002 पेज 669 एवं आर.आर.डी. 2002 पेज 527 की निर्णय नजीरें पेश की ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय के अंतिम पैरा पढकर सुनाया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का कुरना, पटवारी हल्का दयालपुरा से प्राप्त रिपोर्ट्स, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुरना द्वारा जारी प्रमाण पत्रो के अनुसार रेस्पो0 होशियारमल व लक्ष्मीदेवी को मृतक घीसाराम के जायंदा पुत्र पुत्री होना बताया है तथा अपीलांट गोरधन के पक्ष मे निष्पादित वसीयतनामा मे वर्णित खसरा नंबर 647 व 648 की कुल 33.10 बीघा भूमि के 1/4 हिस्सा भूमि घीसाराम के स्वअर्जित भूमि होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष मे वसीयत के अनुसार अपीलांट गोरधन के पक्ष मे नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया है तथा खसरा नंबर 84/1, 733/100, 231 को पैतृक भूमि होना मानते हुए रेस्पो0गण संख्या 1 व 2 के पक्ष मे विरासत का नामांतरकरण दर्ज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि जब मृतक खातेदार घीसाराम के वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 जायंदा पुत्र व पुत्री पहले से ही जीवित है तो हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 (1) के प्रावधान अनुसार यदि किसी खातेदार के पहले से ही पुत्र है तो अन्य को पुत्र के रूप मे गोद लिया ही नही जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत पुत्र व पुत्री को जायंदा संतान होते हुए दत्तक पुत्र को अनुसुचि 1 के तहत प्रथम श्रेणी का वारिस नही माना जा सकना मानते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी इस बहस के समर्थन मे माननीय सुप्रिम कोर्ट की सिविल अपील संख्या 4550/2006 मे पारित निर्णय दिनांक 19–10–2006 की प्रति प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय एवं निर्णय नजीरो का भी गौरपूर्वक अध्ययन किया। अपील मे वर्णित अपीलाधीन भूमि के खातेदार घीसाराम पुत्र पूनमजी जाति गुरू के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (पाली) के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 होशियारमल एवं लक्ष्मीदेवी ने स्व0 खातेदार घीसाराम के

pdfelement

Remove Watermark Now

पुत्र व पुत्री होना बताते हुए उतराधिकार का नामांतरकरण दर्ज करने हेतु दो प्रार्थना पत्र क्रमशः दिनांक 25–8–2010 एवं 1–10–2010 को पेश किये जाने पर उक्त दोनो ही प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का दयालपुरा को जांच हेतु प्रेषित किये गये । दिनांक 28–9–2010 को एक अन्य प्रार्थना पत्र वर्तमान अपीलांट गोरधन पुत्र घीसाराम की ओर से उसके पक्ष मे रजिस्टर्ड गोदनामा एवं वसीयत के दस्तावेज प्रस्तुत किये जाकर उनके आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत करने का निवेदन किया, जिसे भी जांच हेतु पटवारी हल्का दयालपुरा के पास प्रेषित किया गया। उक्त तीनो प्रार्थना पत्रों एवं सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो के संबंध मे पटवारी हल्का दयालपुरा ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट दिनांक 1–11–2010 को तहसीलदार कार्यालय मे प्रस्तुत की, जिसमे ग्राम दयालपुरा के खसरा नंबर 84/1 रकबा 15 बीधा मे 1/2 हिस्सा, खसरा नंबर 231 रकबा 5.17 बीघा मे 1/4 हिस्सा एवं खसरा नंबर 733/100 रकबा 7.09 बीघा मे से 1/4 हिस्सा मृतक घीसाराम पुत्र पुनम को उसके पिता पूनम पुत्र भबुत से विरासत मे प्राप्त होना बताया तथा खसरा नंबर 647 व 648 रकबा 33.10 बीघा मे से 1/4 हिस्सा घीसा पुत्र पूनम की खरीदसुदा भूमि बताई गई एवं खसरा नंबर 829/91 रकबा 9.00 बीघा भूमि को भी घीसा पुत्र पूनम की खरीदसुदा बताया तथा खातेदारी घीसाराम की मृत्यु दिनांक 16–8–2010 को हो चुकी है तथा उक्त रिपोर्ट मे घीसाराम पुत्र पूनम के होशियारमल पुत्र व लक्ष्मीदेवी पुत्री होना बताया है तथा पत्नी रतनीदेवी का दिनांक 17–8–91 को कोर्ट से विवाह विच्छेद होना बताया गया । वसीयतनामा मे खसरा नंबर 647 व 648 मे अपना हिस्सा गोरधनाल पुत्र कानाराम जाति गुरू को वसीयत किया गया है तथा रजिस्टर्ड गोदनामे मे घीसाराम ने अपने कोई संतान नही होना बताया है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का दयालपुरा से उपरोक्त अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार पाली ने मुकदमा दर्ज कर वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0गण को तलब कर उनके बयान कलमबद्ध किये गये । अपीलांट के पक्ष मे मृतक खातेदार घीसाराम द्वारा अपने खातेदारी के खसरा नंबर 647 व 648 के संबंध मे निष्पादित वसीयत के टाईपिस्ट जिसने उक्त वसीयत टाईप की, नोटेरी जिसने वसीयत को तस्दीक किया तथा वसीयत के दोनो गवाहान जिसने वसीयत पर साख डाली आदि के बयानात कलमबद्ध किये, जिन्होने उक्त वसीयत को सही बताया तथा पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट मे उक्त खसरा नंबरान 647 व 648 की 33.01 बीघा मे 1/4 हिस्सा भूमि अपीलांट की स्वअर्जित भूमि होना बताया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे उक्त भूमि का म्युटेशन अपीलांट के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पाली ने अपीलांट के पक्ष मे मृतक खातेदार घीसाराम द्वारा अपीलांट गोरधन को गोद लेने के संबंध मे भी गांव के वरिष्ठ नागरिको के बयान कलमबद्ध किये जिसमे अपीलांट गोरधन को स्व0 घीसाराम द्वारा गोद लेना स्वीकारा है तथा मृतक खातेदार घीसाराम की मृत्यु से पूर्व सेवा चाकरी अपीलांट गोरधन ने ही की जाना बताया तथा उसकी मृत्यु पर सारे क्रियाक्रम भी अपीलांट गोरधन द्वारा ही किये गये । मृतक खातेदार घीसाराम के कोई अन्य पुत्र या पुत्री होना गांव के गवाहान

pdfelement

Remove Watermark Now

ने नही देखने बाबत अपने बयानो मे बताया तथा घीसाराम का उसकी पत्नी से तलाक होने के तथ्य की भी ग्रामवासियो ने अपने बयानो मे पुष्टि की। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपने पक्ष मे मृतक खातेदार घीसाराम द्वारा निष्पादित गोदनामे के रजिस्टर्ड दस्तावेज की छायाप्रति, मृतक घीसाराम द्वारा अपीलांट गोरधन के पक्ष मे उसकी चल व अचल सम्पति की निष्पादित वसीयत, खातेदार घीसाराम के मृत्यु का प्रमाण पत्र, परिवार कार्ड जिसमे परिवार के मुखिया का नाम घीसाराम तथा अपीलांट गोरधन का नाम पुत्र के रूप मे दर्ज है, घीसारामजी के देहांत होने पर छपवाये गये शोक सन्देश जिसमे शोक स्थल मे पता गोरधन पुत्र घीसाराम गर्ग गांव दयालपुरा लिखा हुआ है तथा शोकाकुल परिवार मे गोरधन का नाम पुत्र के रूप मे लिखा गया है, इसमे कही भी रेस्पो0गण होशियारमल एवं लक्ष्मीदेवी का नाम पुत्र पुत्री के रूप मे नही लिखा हुआ है, अपीलांट के पक्ष मे तहसीलदार पाली से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जिसमे अपीलांट गोरधनलाल के पिता का नाम घीसाराम जाति गर्ग निवासी दयालपुरा का जारी हुआ है, जाति प्रमाण पत्र जो प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प दयालपुरा मे तहसीलदार पाली द्वारा जारी किया गया है जिसमे भी अपीलांट गोरधन के पिता का नाम घीसाराम जाति गरूडा निवासी दयालपुरा तहसील पाली का जारी हुआ है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र मे भी अपीलांट गोरधन लाल के पिता का नाम घीसाराम निवासी दयालपुरा तहसील पाली लिखा हुआ है । उपरोक्त तमाम दस्तावेजो के आधार पर यह नही कहा जा सकता कि अपीलांट गोरधन मृतक खातेदार घीसाराम का गोदपुत्र नही है ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 होशियारमल एवं लक्ष्मीदेवी द्वारा ऐसी कोई शहादत या दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि वे मृतक खातेदार घीसाराम के पुत्र व पुत्री है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी पटवारी हल्का कुरना की रिपोर्ट एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुरना द्वारा जारी प्रमाण पत्रो के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को मृतक खातेदार घीसाराम के पुत्र व पुत्री मानते हुए अपीलाधीन निर्णय मे खसरा नंबर 84/1, 733/100, 231 को पैतृक भूमि होना मानते हुए रेस्पो0गण संख्या 1 व 2 के पक्ष मे विरासत का नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जिसमे अपीलांट गोरधन को पैतृक भूमि से वंचित रखा गया है जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

रेस्पो0 संख्या 1 होशियारमल यदि स्वयं को मृतक खातेदार घीसाराम का पुत्र होना तथा उसके पुत्र के रूप मे जीवित रहते अपीलांट गोरधन को गोद लिया ही नही जा सकता था, इस कथन पर अडिग है तो रेस्पो0 गण अपीलांट के पक्ष मे मृतक खातेदार घीसाराम द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामे के दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने की कार्यवाही करवानी होगी। म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये गोद एवं वसीयत के जटिल प्रश्नो का निर्धारण संभव नही है तथा राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड गोदनामे की वैद्यता के बारे मे किसी प्रकार का विवेचन करने का अधिकार भी नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

Remove Watermark Now

न्यायालय तहसीलदार पाली द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–2–18 को अपीलाधीन खसरा नंबर 84/1, 733/100, 231 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार पाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश मे वर्णित खसरा नंबर 84/1, 733/100, 231 की क्रमशः 15.00 बीघा, 7.09 बीघा तथा 5.17 बीघा भूमि के 1/4 हिस्से मे रेस्पो0 के साथ अपीलांट का भी नाम दर्ज करें ।

निर्णय आज दिनांक 26–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

pdfelement

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2020.01.14 13:36:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: